रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डब्लू.बी.-अ.-22022025-261211
CG-WB-E-22022025-261211

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 913] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 20, 2025/फाल्गुन 1, 1946
No. 913] NEW DELHI THURSDAY, FEBRUARY 20, 2025/PHALGUNA1, 1946

वस्त्र मंत्रालय
(पटसन आयुक्त का कार्यालय)
आदेश

कोलकाता, 12 फ़रवरी, 2025

का.आ. 921(अ).— यह 20.09.2024 को हुई सुनवाई और बाद में कार्यालय पत्र दिनांक 29.10.2024 द्वारा हितधारकों के पक्ष में विभाग द्वारा कार्यवाही के रिकॉर्ड के जारी होने के अनुसार है।

कार्यवाही के उपरोक्त रिकॉर्ड के माध्यम से; दोनों पक्षों को इस निर्णायक प्राधिकारी के समक्ष लिखित आपत्ति/तर्क दायर करने की स्वतंत्रता दी गई थी। तदोपरांत मिल कंपनी के दिनांक 01.11.2024 के पत्र के संदर्भ सं. शून्य माध्यम से लिखित तर्क प्रस्तुत किया, जो इस प्रकार हैं –

"हम यहां बहुत पीड़ा और दर्द के साथ प्रस्तुत करना चाहते हैं कि हमें जिला प्रबंधक, पंग्रेन लुधियाना से पीसीएसओ नंबर PBPGK170424MJI30972 दिनांक 17-04-2024 के खिलाफ खन्ना डिपो को आपूर्ति की जा रही 48 गांठों की शिकायत मिली थी। यह निश्चित रूप से हमारी ओर से बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण गलती का मामला है। यहां, हम आपको अवगत कराना चाहते हैं कि मिल के उच्च अधिकारी उक्त विसंगतियों के बारे में पूरी तरह से अनजान थे और परेषिती से शिकायत होने के बाद हमने जांच की थी और पाया कि रात की शिफ्ट के दौरान ब्रैंडर ने 24-25 फॉर्मा

के बजाय 22-23 फॉर्म के साथ बोरी को गलत तरीके से ब्रांडेड किया और बाद में उन्होंने हमारी जानकारी के बिना 24-25 फॉर्म के साथ इसे ठीक करने की कोशिश की। इस प्रकार, कुछ बोरों पर डबल ब्रांडेड हो सकता है।

हालांकि, खन्ना DEPO में 27-07-2024 को हमारे संयुक्त निरीक्षण से पहले हमें मौखिक रूप से अंडरटेकिंग लिखने के लिए मजबूर किया गया था और दिए गए पत्र में हमें डबल ब्रांडेड बैग के प्रतिस्थापन का आश्वासन लिखने के लिए मजबूर किया गया था। लेकिन हमें डबल ब्रांडेड बैग नहीं मिले और जांच के अनुसार गुणवत्ता स्तर की थी।

ऊपर बताई गई परिस्थितियों के तहत, मिलों के श्रमिकों और उन पर आश्रितों की आजीविका के लिए, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया हमें इस समय के लिए क्षमा करें। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि भविष्य में हम इस मामले में बहुत सतर्क रहेंगे और आपको शिकायत की गुंजाइश नहीं देंगे।

डीएफएस-FP01027/3/2024(कॉम्प.792238)/1271 दिनांक 24.12.24 के पत्र के तहत परेषिती ने अपने लिखित तर्क प्रस्तुत किए हैं, जो इस प्रकार हैं –

"ओवरलैप्ड ब्रांडिंग/प्रिंटिंग/खराब गुणवत्ता/कम वजन के साथ वास्तव में दोषपूर्ण गांठों की संख्या का पता तब तक नहीं लगाया जा सकता जब तक कि सभी बैगों को खोलकर उनका पुन: निरीक्षण नहीं किया जाता है और जांच एजेंसी द्वारा भी प्रस्तुत किया गया है जैसा कि जेसीओ के पत्र जूट(टी)-6/1/178/पुंग्रेन/2017/-I.(E)-I/3025115/24 दिनांक 29-10-24 में उल्लिखित है। इसलिए, जांच एजेंसी के प्रस्तुतीकरण को ध्यान में रखते हुए और एसपीए के लिए खरीद मौसम के दौरान अधिक मात्रा में कार्य को ध्यान में रखते हुए, यह व्यावहारिकता के विरुद्ध है और गांठों की खरीद की संपूर्ण प्रक्रिया की भावना के विरुद्ध है, प्रतिस्थापन के लिए दोषपूर्ण गांठों को अलग करना क्योंकि सही मात्रा का पता पूरी खेप खोलने के बाद ही लगाया जा सकता है। इसलिए इस कार्यालय का विचार है कि मिसाल कायम करने के लिए नियमों/विनियमों के अनुसार संबंधित मिल के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि आगे किसी भी डिलीवरी में नियमों के साथ कोई और विचलन न हो, साथ ही पूरे लॉट को बदलने के आदेश दिए जाएं।

दोनों मिल कंपनियों के पूर्वोक्त प्रस्तुतिकरण को स्वीकार कर लिया गया है। और परेषिती को रिकॉर्ड पर रखा गया है।

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट से यह समझा जाता है कि 27.07.2024 को आयोजित संयुक्त निरीक्षण के दौरान (शिथिल स्थिति में 36 बरकरार गांठों और 10 गांठों के लिए), यादृच्छिक रूप से निकाले गए नमूना बैग प्रासंगिक बीआईएस विनिर्देश यानी आईएस: 16186-2014 (संशोधित), और पीसीएसओ के अनुसार प्रासंगिक ब्रांडिंग/प्रिंटिंग शर्तों का अनुपालन करते हुए पाए गए। हालांकि, मेसर्स महादेव जूट एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा जारी किए गए कथित पत्र के अनुसार, दिनांक 27.07.2024 के संयुक्त निरीक्षण के दौरान, जूट मिल कंपनी ने प्रथम दृष्टया अपने द्वारा अपराध को को स्वीकार किया है; और आगे यह भी प्रतिबद्ध है कि, वे गलत तरीके से ब्रांडेड बी-टवील जूट बैग को खुद ही बदल देंगे।

एक तरफ सभी हितधारकों की उपस्थिति में आयोजित विवादित गांठों के संयुक्त निरीक्षण में शिकायत को बरकरार नहीं रखा गया है, जिसमें संयुक्त निरीक्षण के लिए प्रतिभागियों द्वारा यादृच्छिक रूप से गांठें खींची गई हैं; जबकि दूसरी ओर आपूर्तिकर्ता जूट मिल कंपनी ने *एक वचन* दिया है कि वह सभी 'डबल ब्रांडेड' या गलत ब्रांडेड बैग को बदल देगी।

हालांकि, मिल कंपनी ने अपने तर्क में प्रस्तुत किया है कि संयुक्त निरीक्षण के दौरान मौके पर उस वचन को प्रस्तुत करने के लिए **'मजबूर'** किया गया है; तथापि, यह न्यायनिर्णयन फोरम फिलहाल पटसन मिल कंपनी के उक्त दावे पर अपने विचार सुरक्षित रखना चाहेगा।

तथापि, गतिरोध को एक उचित निष्कर्ष पर लाने के लिए, एक बार *के आदेश* के रूप में, यह निर्देश दिया जाता है कि मैसर्स महादेव जूट एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड इस आदेश के जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने जोखिम और लागत पर गलत तरीके से ब्रांडेड सभी जूट बोरों को बदलेगा और परेषिती द्वारा बदले गए माल की स्वीकृति के दस्तावेजी प्रमाण सहित

विभाग को तुरंत एक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। ऐसा न करने पर विभाग जूट मिल कंपनी से संबंधित लंबित बिलों से वित्तीय वसूली की मात्रा, जैसा कि इस न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा उचित समझा जाए, की मांग करते हुए 30 दिन बीत जाने के बाद इस न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के समक्ष मामला ला सकता है।

यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि परेषिती को इस तरह के प्रतिस्थापन के दौरान जूट मिल कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधियों तक आवश्यक पहुंच की सुविधा प्रदान करने का निर्देश दिया जाता है।

इस आदेश को सभी पक्षों को तत्काल परिचालित किया जाए।

[फा.नं.- जूट(टी)-6/1/178/जीएन(12)/2019-I(ई)]

मलय चंदन चक्रवर्ती, पटसन आयुक्त

MINISTRY OF TEXTILES
(Office of the Jute Commissioner)

ORDER

Kolkata, the 12th February, 2025

S.O. 921(E). — This is pursuant to the hearing held on 20.09.2024 and subsequent issue of the Record of Proceedings by the Department in favour of the stakeholders vide office letter dated 29.10.2024.

Vide the aforementioned Record of Proceedings; both the parties were given liberty to file written objection / argument before this adjudicating authority. Subsequently,the mill coy. vide letter under Ref. No. Nil dated 01.11.2024 has submitted their written arguments, which are as follows –

"We would like to submit here with great agony and pain that we had received a complaint from the District Manager, Pungrain Ludhiana for 48 bales being supplied by us against PCSO No PBPGK170424MJI30972 dated 17-04-2024 to KHANNA DEPO. It is of course a matter of great unfortunate mistake on our part. Here, we would like to apprise you that mill's higher authorities were fully unaware about the said discrepancies and after having complaint from the consignee we had investigated and found that during night shift the Brander wrongly branded the gunny bags with 22-23 forma instead of 24-25 forma and later on they tried to correct the same with 24-25 forma without our knowledge. Thus, had might be caused double branded on few gunny bags.

However, before our joint inspection hold on 27-07-2024 at KHANNA DEPO we were verbally forced to write the UNDERTAKING and in the given letter we were forced to write the assurance of replacement of double branded bags. But we found no double branded bags and the quality was upto the mark as per inspection thereon.

Under the circumstances as stated above, for the sake of livelihood of the mills workers and the dependants thereon, we hereby request you to kindly excuse us for this time. We thus hereby assure you that henceforth in future we shall be very much cautious in the matter and will not give you scope of complaint"

The Consignee vide letter under Ref. No.DFS-FP01027/3/2024(Comp.792238)/ 1271 dated 24.12.24 has submitted their written arguments, which are as follows –

"the number of bales which are actually defective w.r.t overlapped branding/printing/poor quality/ underweight could not be ascertained unless all the bags un-baled and are re-inspected and the same has been submitted by Investigating Agency too as mentioned in JCO letter Jute(T)-6/1/178/Pungrain/2017/-I.(E)-I/3025115/24 dated 29-10-24. Therefore, keeping the Investigating Agency's submission and keeping the high amount of work during the procurement season for SPAs in mind, it is against practicality and against the spirit of whole process of procuring bales, to segregate the defective bales for replacement as the exact quantity can only be ascertained after opening of whole lot. So this office is of the view that the punitive action should be taken against the concerned mill as per rules/regulations to set the precedent so no further deviation happen with the rules in any further deliveries along with orders to replace the whole lot of bales"

The aforesaid submissions of both the mill coy. and the consignee have been kept on record.

It is understood from the joint inspection report that during joint inspection held on 27.07.2024 (for 36 intact bales and 10 bales in loose condition), the sample bags drawn at random were found to comply with the

relevant BIS specification i.e. IS: 16186-2014 (as amended), and relevant branding/printing stipulations as per the PCSO. However, as per the purported letter issued by M/s Mahadeo Jute & Industries Limited, during the joint inspection dated 27.07.2024, the jute mill company has prima facie admitted the alleged commission of offence, by themselves; and further goes on to commit that, they will change the wrongly branded B-Twill jute bags all by themselves.

On one hand the complaint has not been sustained in the joint inspection of the disputed bales held in the presence of all the stakeholders' in which the bales have been drawn at random by the participants for the joint inspection; while on the other hand the supplier jute mill company has *sou moto* given an undertaking that it shall replace all the 'double branded' or wrongly branded bags.

Though, the mill company has submitted in its argument that it has been '**forced**' to submit that undertaking on the spot during the joint inspection; this adjudicating forum would however like to reserve its views on the said claim of the jute mill company for the time being.

However, to bring the stalemate to a reasonable conclusion, as an onetime *dictate*, it is directed that M/s Mahadeo Jute & Industries Ltd. shall replace all the wrongly branded jute bags at their own risk and cost within 30 days from the date of issue of this order and submit a compliance report to the department forthwith including documentary proof of acceptance of the replaced goods by the consignee, failing which the Department may bring up the matter before this adjudicating authority after the elapse of 30 days, seeking the quantum of financial recovery, as deem fit by this adjudicating authority, from the pending bills pertaining to the jute mill company.

Needless to mention that the consignee is directed to facilitate necessary access to the authorised representatives of the jute mill company during the course of such replacement.

Let this Order be circulated to all the parties' forthwith.

[F. No. Jute(T)-6/1/178/GN(12)/2019-I(E)]
MOLOY CHANDAN CHAKRABORTTY, Jute Commissioner

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.02.22 08:44:20 +05'30'